

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

संख्या-1/प्रशि०निजी-11/2020...../श्री कुमार विकास रजक, प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में
निहित प्रावधान के तहत दिनांक 15.04.2025 से 26.04.2025 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित
अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरान्त इनके अवकाश लेखा में दिनांक 27.04.2025 तक कुल 288 दिनों
का उपार्जित अवकाश आदेय रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

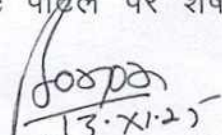
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/प्रशि०निजी-11/2020.....~~77~~...../पटना-01, दिनांक-~~18/11/25~~

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० के
साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी
पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं
प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार
/श्री कुमार विकास रजक, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर एवं
आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना से अनुरोध है कि
HRMS के अन्तर्गत Leave Management Module पोर्टल पर शेष आदेय
अवकाश की प्रविष्टि कर ली जाय।


13.11.25
सरकार के संयुक्त सचिव